

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 110/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

ख्यालीलाल सुवालका पुत्र नन्दलाल सुवालका निवासी:ग्राम पलोदड़ा, तहसील-सराड़ा,
जिला-सलूमबर (राज0)

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

.....प्रत्यर्थी



प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 10/10/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 14.07.2023 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र क्रमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/110/23/1253-54 दिनांक 15.09.2023 से लिखा गया। अपीलार्थी अनुपस्थित। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्रांक प./41/2/सू.अ./प्रथम अपील/110/2023/1047-1048 दिनांक 27.09.2023 से अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना उपलब्ध करवाते हुए इस कार्यालय को भी अवगत कराया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1047-1048 दिनांक 27.09.2023 से उपलब्ध करवा दी गई है। जिससे प्रकरण में अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निश्चित समयावधि उपरान्त सूचना उपलब्ध करवाई गई है। अतः प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र/प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निश्चित समयावधि में निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ़तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर